राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 187 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :– 01.07.2025

GCMS ID–2025 / 173

1. सोना आयु वर्ष पत्नी शंकर जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जयें श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 27 / 02 / 2026

आदेश

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 793 ख.सं. 2694 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, ख.सं. 2695 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, ख.सं. 2696 रकबा 0.0324 हैक्टेयर कुल किता. 3 कुल रकबा 1.1251 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. मे विस्थित है. जो प्रार्थीया की खातेदारी मे दर्ज है, जिस पर प्रार्थीया निरन्तर रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है, प्रार्थी की उक्त भूमियो पर आने जाने हेतु ग्रेवल सडक भूमि ख.सं. 6429 / 2698 से होकर सिवायचक भूमि ख.सं. 2698, 2697 से होता हुआ प्रार्थीया की भूमि ख.सं. 2696 पर आता जाता है, जिस पर प्रार्थीया सदियो से आती जाती है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रोली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले आती आ रही है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने एवं सिवायचक भूमियो की किमत बढ़ जाने के कारण भविष्य मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर सकते है, इसलिये प्रार्थीया उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की अधिकारी है, इस हेतु प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व मे तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय मे कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीया की खाते की भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली मे विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि ख.सं. 2696 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु ग्रेवल सडक भूमि ख. सं. 6429/2698 से सिवायचक भूमि ख.सं. 2698, 2697 मे 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड हिण्डोली में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिंण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/2624 दिनांक :–09.09.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

दिनांकः–09.09.2025 को तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीया द्वारा आपत्ति पेश करने पर पुनः प्रस्तावित रास्ते व प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार हिण्डोली से जॉच रिपोर्ट ली गई। उनके द्वारा पत्रांकः–राजस्व/26/05 दिनांकः–01.01.2026 से जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2694, 2695, 2696 जो कि वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में स्थित है, पर आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 6429/2698, 2697, 2698 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा खसरा संख्या 2692 में से रास्ता प्रस्तावित किया जाकर उसकी लम्बाई 160 वर्गमीटर व आबादी से दूरी 240 मीटर बताई गई है जबकि हमारे द्वारा प्रस्तावित रास्ते की 800 वर्गमीटर बताई है व आबादी से दूरी 350 मीटर बताई है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते का उपयोग करने हेतु प्रार्थी को पहले हमे खसरा नम्बर 2698, 6429, 6314/2693 से होकर गै0मु0 सडक खसरा सख्या 2692 पर आकर फिर खसरा सख्या 2692 (प्रस्तावित रास्ता) से मेरी खातेदारी भूमि 2694 पर आना होगा जबकि हमारे द्वारा प्रस्तावित रास्ते से मुझे खसरा नम्बर 2698, 6429/2698, 2697 से होकर मेरी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2696 तक पहुंचा जा सकता है। उक्त रास्ता मौके पर कदीमी रूप से बना हुआ है। इस हेतु हमारे द्वारा प्रस्तावित रास्ता सुगम होने से हमारे पक्ष में उसकी घोषणा की जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ते के अलावा हमारे द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीया इस बाबत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या खसरा संख्या 2692 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, परन्तु प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 2698, 6429/2698, 2697 में से रास्ता चाहा गया है, जो कि प्रार्थीया की भूमि में आने जाने हेतु निकटतम व सुगम है। प्रार्थीया को चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 793के खसरा संख्या 2694, 2695, 2696 वाके ग्राम हिण्डोली प0म0 हिण्डोली में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीया द्वारा बताए गए रास्ते बाबत रिपोर्ट अनुसार ग्राम हिण्डोली के खसरा 6429/2698, 2697, 2698 (राजकीय सिवायचक) में से 15 फीट चौडे व 160 फीट लम्बे रास्ते में कुल 800 वर्गमीटर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमियों की डी0एल0सी0 राशि की गणना तहसीलदार हिण्डोली द्वारा कर सम्बन्धित प्रार्थीगण से डी0एल0सी0 राशि की दुगनी प्रतिकर राशि निर्धारित मद/राजकोष हिस्से अनुसार जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। प्रतिकर जमा होने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 27.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446